पी एवं ओ

चेक वापसी नीति

विषय-क्षेत्र: डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल)

जारीकर्ता: सौरभ मित्तल, अध्यक्ष- परिचालन, डीबीआईएल

सर्वाधिकार सुरक्षित।
इस दस्तावेज़ के किसी भी भाग को डीबीएस समूह के बाहर किसी भी रूप में अधिकृत प्रकाशन के बिना पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

1 मार्गदर्शी सिद्धांत

आरबीआई ने 26 जून, 2003 के अपने परिपत्र DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 और 12 मई, 2014 के RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 के अनुच्छेद 11.4 (i) के तहत बैंकों को चेक सुविधा वाले खातों के संचालन के लिए एक शर्त पेश करने की सलाह दी थी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान चार अवसरों पर आहर्ता के एक विशेष खाते से आहरित एक करोड़ और उससे अधिक मूल्य के चेक का खाते में पर्याप्त धनराशि के अभाव से अनादर होने की स्थिति में कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा, बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर विचार कर सकता है।

अब, भारतीय रिजर्व बैंक ने 04 अगस्त 2016 के अपने परिपत्र सं. DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि यह बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा कि खाताधारक द्वारा चेक के अनादर के मामले में बैंक अपनी प्रतिक्रिया कैसे निर्धारित करेंगे।
उस संबंध में, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड (डीबीआईएल) ने नीचे दी गई चेक वापसी नीति का मसौदा तैयार किया है।

2 नीति

चेक का बारम्बार अनादर होने की घटना का निपटान

i. चेक-बुक जारी करते समय ग्राहक को सूचित किया जाएगा कि यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि भुगतान की उनकी प्रतिबद्धता का सम्मान रखने के लिए खाते में पर्याप्त धनराशि रखी गई हो।

ii. मौजूदा खातों के संचालन के संबंध में नीचे (iv) में उल्लिखित शर्तों को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, बैंक नई चेक बुक जारी करते समय, खाताधारकों को नई शर्त की सलाह देते हुए एक पत्र जारी कर सकता है। इसका उल्लेख चेक बुक के प्रथम पृष्ठ पर भी किया गया है और ग्राहक को जारी की गई चेक बुक की मांग पर्ची संलग्न है।

iii. यदि वित्तीय वर्ष के दौरान आहर्ता के किसी विशेष खाते में चेक पांचवीं बार अनादरित होता है, तो बैंक *संबंधित खाताधारक का ध्यान पूर्वोक्त शर्त की ओर आकर्षित करने के लिए उन्हें चेतावनी सलाह जारी कर सकता है और चेक जारी करने से पहले खाते में पर्याप्त शेष राशि बनाए रखने का अनुरोध कर सकता है।*

iv. ग्राहकों के मध्य वित्तीय अनुशासन लागू करने की दृष्टि से, बैंक चेक सुविधा वाले खातों के संचालन के लिए एक शर्त पेश करेगा कि यदि पर्याप्त राशि के अभाव में एक वर्ष के दौरान छह मौकों पर आहर्ता के किसी विशेष खाते पर आहरित चेक का अनादर होता है, तो बैंक ग्राहक को चेक-बुक की सुविधा का लाभ उठाने से वंचित कर देगा।

इसके अलावा खाते की समीक्षा की जाएगी और बारीकी से नज़र रखी जाएगी। परिचालन दल सभी शाखाओं के लिए वापस चेक डेटा की निगरानी करेगा और एक वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त धनराशि के कारण उसी खाते में हुई वापसी के मौकों के आधार पर संलग्न परिशिष्टों के अनुसार ग्राहक को पत्र भेजेगा।

v. यदि उचित समझा जाए, तो बैंक 15 दिनों का पर्याप्त नोटिस दे सकता है और शुल्क / बकाया राशि की वसूली करके खाता बंद कर सकता है और शेष राशि पे ऑर्डर / ड्राफ्ट द्वारा बैंक के रिकॉर्ड पर मौजूद पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज सकता है। इसी तरह की चेतावनी सलाह जारी की जाएगी यदि बैंक अनुमोदन अधिकारियों / आरएम की अनुमति से वह खाता बंद करना चाहता है जिसमें ग्राहक क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाता है।

vi. क्लियरिंग हाउस/ अदाकर्ता बैंक द्वारा वापस हुए चेक सौंपने के अगले व्यावसायिक दिवस तक सभी वापस चेक को अदाकर्ता/ धारक को भेजा जाएगा और इसके साथ चेक वापसी मेमो भी भेजा जाएगा जिसमें चेक के अनादर का कारण "अपर्याप्त धनराशी" दर्शाया जाएगा।

vii. स्टॉक एक्सचेंजों के नाम से आहरित 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के प्रत्येक वापस चेक के संबंध में प्रत्येक वित्तीय तिमाही का डेटा क्यूएससी (त्रैमासिक स्थायी समिति) के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी जिसमें पार्टी का नाम, चेक की राशि, वापसी का कारण, उपलब्ध कराई गई सुविधा और अब तक वापसी के मौके जैसी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।

3 प्रमुख उत्तरदायित्व

परिचालन

i. क्लियरिंग हाउस/ अदाकर्ता बैंक द्वारा वापस हुए चेक सौंपने के अगले व्यावसायिक दिवस तक सभी वापस चेक को अदाकर्ता/ धारक को भेजा जाएगा और इसके साथ चेक वापसी मेमो भी भेजा जाएगा जिसमें चेक के अनादर का कारण "अपर्याप्त धनराशी" दर्शाया जाएगा।

ii. परिचालन दल सभी शाखाओं के लिए वापस चेक डेटा की निगरानी करेगा और एक वित्तीय वर्ष में अपर्याप्त धनराशि के कारण उसी खाते में हुई वापसी के मौकों के आधार पर संलग्न अनुलग्नकों के अनुसार ग्राहक को पत्र भेजेगा।

4 शासन

4.1 स्वामित्व एवं अनुमोदन प्राधिकारी

यह नीति टी एंड ओ के स्वामित्व में है और बोर्ड या प्रत्यायोजित समिति द्वारा अनुमोदित है। कोई भी परिवर्तन जो वास्तविक नहीं है, लेकिन प्रकृति में आकस्मिक या प्रशासनिक है, उसके लिए अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा साइन-ऑफ की आवश्यकता नहीं है।

4.2 विचलन

कुछ नहीं

4.3 समीक्षा

इस नीति की वार्षिक आधार पर समीक्षा की जानी चाहिए, जब तक कि अन्यथा आवश्यक न हो।

परिशिष्ट 1 शब्दावली

लागू नहीं है

परिशिष्ट 2 संबंधित नीतियाँ एवं मानकें

चेक वापसी- प्रक्रिया नोट

परिशिष्ट 3 कोई अतिरिक्त जानकारी या सामग्री

कुछ नहीं

परिशिष्ट 4 विचलन

प्रभावी तिथि	अनुभाग	अनुमोदन दाता और अनुमोदन तिथि	स्वीकृति दाता और स्वीकृति की तिथि	विचलन का विवरण	विचलन का कारण

परिशिष्ट 5 संस्करण का इतिहास

संस्करण	जारी होने की तिथि	मुख्य बदलाव का सारांश
1.0		जारी नीति
2.0	29-मार्च-2017	आरबीआई ने 26 जून, 2003 के अपने परिपत्र DBOD.BC.Leg.No.113/09.12.001/2002-03 और 12 मई, 2014 के RPCD.CO.RRB.BC.No.100/03.05.33/2013-14 के अनुच्छेद 11.4 (i) के तहत बैंकों को चेक सुविधा के साथ खातों के संचालन के लिए एक शर्त पेश करने की सलाह दी थी कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान चार अवसरों पर आहर्ता के एक विशेष खाते से आहरित एक करोड़ और उससे अधिक मूल्य के चेक का खाते में पर्याप्त धनराशि के अभाव से अनादर होने की स्थिति में कोई नई चेक बुक जारी नहीं की जाएगी। इसके अलावा, बैंक अपने विवेक से चालू खाता बंद करने पर विचार कर सकता है।

		अब, भारतीय रिजर्व बैंक ने 04 अगस्त 2016 के अपने परिपत्र सं. DBR.No.Leg.BC.3/09.07.005/2016-17 के माध्यम से यह निर्णय लिया है कि यह बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया जाएगा कि खाताधारक द्वारा चेक के अनादर के मामले में बैंक अपनी प्रतिक्रिया कैसे निर्धारित करेंगे।
3.0	29-अगस्त-2018	पत्र स्वरूपों में परिवर्तन।
4.0	26-जून-2019	पहला प्रकाशन (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में डीबीएस इंडिया के निगमन के बाद)।